न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली प्रार्थना पत्र /FSSA/संख्या : 32/2017

श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन– भरतपुर।

आवेदक

बनाम

प्रकाशचन्द गर्ग पुत्र श्री रमेशचन्द अग्रवाल जाति वैश्य एफबीओ व मालिक फर्म रमेशचन्द प्रकाशचन्द मथुरागेट भरतपुर निवासी अग्रसेन नगर सरक्यूलर रोड भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011

उपस्थिति :

1. रचन सिनसिनवार वकील गैरसायल ।

निर्णय **दिनांक : 22.11.2017**

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ा) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैर सायल मय वकील उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 21.4.2017 को 3.00 पीएम पर गैरसायल की फर्म रमेशचंद प्रकाशचंद मथुरागेट भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु खाद्य वस्तु सरसों तेल (निर्मल ब्रान्ड) 450 ग्राम पैक की 10 बोतल दुकान की रैक पर रखी हुयी पायी गई। जिनमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–326/एक्ट/2017/347 दिनांक 5.5.2017 द्वारा उक्त सरसों तेल (निर्मल ब्रान्ड) का नमूना मिथ्या छाप (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप स्तर के सरसों तेल (निर्मल ब्रान्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ा) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि उसके द्वारा गहन जांच एवं परीक्षण के उपरान्त ही अपनी बर्षो पुरानी फर्म से सरसों का तेल (निर्मल ब्राण्ड)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा वक्त निरीक्षण पाये गये सरसों का तेल (निर्मल ब्राण्ड) में कोई मिलावट अथवा मिथ्याछाप लेवलिंग अपने स्तर से नहीं की गई है। गैर सायल की ओर से उपस्थित आये वकील का यह भी कहना है कि गैर सायल अपनी छोटी सी दुकान चलाता है मिथ्याछाप पाये सरसों के तेल की पैकेजिंग अथवा लेवलिंग गैर सायल के स्तर से नहीं की गई । वास्तविकता यह है कि निर्मल ब्राण्ड सरसों के तेल की फैक्ट्री भरतपुर में ही स्थापित है जिससे क्रय कर गैर सायल द्वारा अपनी दुकान में विक्रय किया गया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए सरसों के तेल का विक्रय करेगा। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैर सायल के कथनों पर मनन किया । दौराने निरीक्षण/जांच गैर सायल की फर्म से आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विक्रय हेतु सरसों का तेल (निर्मल ब्राण्ड) 450 ग्राम पैक की 10 बोतल पायी गई । खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–326/एक्ट/2017/347 दिनांक 5.5.2017 द्वारा उक्त सरसों तेल (निर्मल ब्रान्ड) का नमूना मिथ्या छाप (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। दौराने सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही करने एवं सावधानी पूर्वक सरसों तेल विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 3000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल द्वारा रसीद संख्या 000081 दिनांक 22.11.2017 से अर्थदण्ड राशि जमा राजकोष की गई । गैर सायल के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जाती है। फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

इस प्रकरण में दौराने सुनवाई यह भी जाहिर हुआ है कि उक्त निर्मल ब्राण्ड सरसों के तेल (जिसकी पैकिंग/लेबल मिथ्याछापा पाया गया है) का उत्पादन भरतपुर ही होता है। अतः निर्णय की प्रति संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वा0 सेवाऐं भरतपुर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर तथा संबधित खाद्यसुरक्षा आधिकारी श्री प्रेमचंद जैन को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्त स्थल का निरक्षण किया जावे। दौराने निरीक्षण यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो पृथक से नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाते हुये इस आदेश के पारित होने के दो सप्ताह के अन्दर प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2017 को सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official